

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 581/2025

लखवीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

- वादी

बनाम

- 1 कृष्ण सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 2 विजय सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तहसील संगरिया
- 3 हस्जीत कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तहसील संगरिया
- 4 सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तहसील संगरिया
- 5 सुशीला देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट नि. ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 6 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुंझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल

रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्री कुलदीप भूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व

डिग्री दी जाती है:- वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8

बी.जी.पी. के खाता सं. 137/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.366 है. कृषि भूमि के

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर वादी का नाम कलमजान

किया जावे, इसी प्रकार वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 बी.जी.पी. के एकल

खाता सं. 63/49 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 6.465 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 ता

3 को 0.243 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के प्रतिवादी सं. 4 को 0.150 है. कृषि भूमि का तथा

प्रतिवादी सं. 5 को 0.253 है. कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर वादी का हिस्सा

कम किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8

बी.जी.पी. के खाता सं. 12/70 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.012 है. कृषि भूमि में से वादी

को 0.356 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 5 को 0.253 है. कृषि भूमि कि खातेदार

काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 3 का

1/2 हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 4 के नाम से तहसील संगरिया के

चक 8 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 76/70 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.060 है. कृषि

भूमि में से वादी को 0.150 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 4

का हिस्सा कम किया जावे एवं इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के

चक 8 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 57/42 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 5.060 है. कृषि

भूमि में से वादी को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5

का हिस्सा कम किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता/रकमराज निम्नानुसार

अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

महायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

1 वादी लखवीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि - चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 63/49 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
198/146	14	16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है 17ता24/0.253 है प्र. 25/1/0.228 है 25/2/0.025 है
199/145	8	10/0.253 है
199/146	13	16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है 17ता24/0.253 है प्र. 25/1/0.228 है 25/2/0.025 है
199/147	16	1.2/0.253 है प्र

कुल 5819 है मय गै.मु. कृषि भूमि  
चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 57/42 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/145	8	8.9/0.253 है प्र. कुल 0.506 है कृषि भूमि

चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 76/70 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/145	8	6/2/0.070 है. 6/4/0.010 है. 7/0.070 है कुल 0.150 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 12/70 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/145	8	6/1/0.158 है. 6/3/0.015 है. 7/1/0.183 है कुल 0.356 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

2 प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः कृष्ण सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, विजय सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह व हरजीत कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :- चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 137/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/145	8	2/2/0.102 है. 2/4/0.011 है. 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है. कुल 0.366 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

3 प्रतिवादी सं. 1 ता 4 क्रमशः 1. कृष्ण सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, विजय सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, हरजीत कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह(0.243 है. ब.हि.ब.) व सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह (0.150 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :-चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 63/49 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/145	8	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. 2/1/0.126 है. 2/3/0.014 है. कुल 0.393 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

4 प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः 1. कृष्ण सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, विजय सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) व हरजीत कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.)समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :-चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 12/70 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.प.	मु.नं.	कि.नं.
198/152	38	20/0.126 है.
199/146	13	6/1/0.228 है. 6/2/0.025 है. 7,8,9,11ता14/0.253 है प्र. 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है. कुल 2.403 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

6 प्रतिवादी सं. 4 सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जाटसिख निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :- चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 76/70 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
198/147	15	1ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 9ता12/0.253 है.प्र.
198/152	38	20/1/0.127 है.
199/145	8	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है. कुल 2.910 है. मय गै. मु. कृषि भूमि

7 प्रतिवादी सं. 5 सुशीला देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :- चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 57/42 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
198/145	7	24/0.253 है., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
198/146	14	4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,8/0.253 है.प्र.
199/145	8	12,13,14,18ता22/0.253 है.प्र.
199/146	13	1,2,10/0.253 है.प्र. कुल 4.554 है. मय गै. मु. कृषि भूमि

चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 63/49 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

199/145 8 11/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि  
चक 8 बी.जी.पी. खाता सं. 12/70 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

199/145 8 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है. कुल 0.253 है. मय गै. मु. कृषि भूमि

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज  निल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा

शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  अदा करें।

बसंबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.12.2023 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया